सम्पादक–मण्डल

विषय–सूची

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

ज्येष्ठ : २०४० | | अंक : ५
मई : १९८४ | वर्ष : ३६ | पूर्णांक : ३५६

श्रुति-सुधा

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभि ।। साम० ५६६ ।।

अन्वय :—सखायः ! वः मदाय त पुनानम् अभिगायत् । शिशुं न हव्यैः गूर्तिभिः स्वदयन्त ।

सं० अन्वयार्थ :—हे उपासक मित्रो ! तुम हर्ष आनन्द के लिये उस पवित्र करने वाले प्रभु को गाओ । शिशु के समान तुम हव्यों और स्तुतियों मे उसे तृप्त करो ।

अन्वयार्थ :—(सखायः !) हे एक ही राह के राही उपासक मित्रो ! (वः मदाय तं पुनानम् अभिगायत) तुम आन्तरिक तृप्ति के लिये उस सब प्रकार से शुद्ध-पवित्र करने वाले प्यारे प्रभु का गुणगान करो । (शिशुं न) बालक को जैसे पुष्ट मिष्ट सुगन्धित और रोग विनाशक स्वादिष्ट हव्य द्रव्यों से तृप्त करते हैं-प्रसन्न करते है, वैसे ही तुम सब (¹गूर्तिभि स्वदयन्त) उस प्यारे शान्तस्वरूप प्रभु को अपनी स्तुतियों से वा साधना के क्षेत्र में किये गये महान् उद्यमों-परिश्रमों से परितृप्त करो। उस की तृप्ति में, फिर तो तुम्हारी तृप्ति ही तृप्ति है ।

उपासकों को चाहिये कि वे समान गुण कर्म स्वभाव वालों से मेल करें । अपनी आत्मा को निहाल करने के लिये-परितृप्त करने के लिये-अनुपम आनन्द की प्राप्ति के लिये वे सदा हृदय मन्दिर को शुद्ध पवित्र करने वाले प्रभु का गुणगान करें । शिशुओं को जैसे हव्य द्रव्य खिलाते हैं और उनके लिये नानाविध उद्यम कर उन्हे प्रसन्न करने का जैसे गृहस्थ लोग प्रयास करते हैं ऐसे ही उपासक हव्य अर्थात् पुष्ट-मिष्ट सुगन्धित और रोगविनाशक द्रव्यो का सेवन कर अपनी स्तुति-प्रार्थनाओं एवं शुभकर्मों वा साधना के क्षेत्र में किये गये अपने प्रयासों द्वारा किसी मानव को नहीं वरन् प्रभु को ही रिझाने का प्रयास करें । ◘

1 गूर्तिभि—"गूरी उद्यमने" उद्यमैः स्तुतिभिर्वा ।

महापुरुष-वचनम्

(i) उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।
सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।। (मनु० २-१४५)

दस उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य का, सौ आचार्यों की अपेक्षा पिता का और सहस्र पिताओं की अपेक्षा माता का गौरव अधिक होता है।

(ii) न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ।। (मनु० २-१५६)

सिर के बालों के सफेद हो जाने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता । युवा होते हुए भी जो विद्वान् है, देवतागण अथवा विद्वान् लोग उसी को वृद्ध समझते हैं।

(iii) नक्षत्रमति पृच्छन्तं बालमर्थोऽतिवर्तते ।
अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ।। (अर्थ० ६-४)

जो मूर्ख (किसी काम को करने के लिए) नक्षत्र के विषय में अत्यधिक पूछताछ करता है उसका कार्य उसके हाथ से निकल जाता है । वास्तव में कर्तव्य अर्थ स्वयं अपना नक्षत्र होता है, उसी को देखना चाहिये । तारे क्या कर सकते हैं ? अर्थात् कुछ नहीं ।

(iv) अर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् ।
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ।। (वा० रा०, ४-३०-७१)

अपने पास आये हुए प्रार्थी लोगों की तथा पूर्व में अपना उपकार करने वालों की आशा को, उसकी पूर्ति का वचन देकर, जो मार देता है, वह संसार में सबसे नीच व्यक्ति है।

(v) अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम् ।
अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यैकसेविना ।। (योगवाशिष्ठ २-१८-२)

सामान्य पुरुष द्वारा कहा हुआ शास्त्र भी यदि वह युक्तियुक्त बात को बतालता है तो ग्रहण करने योग्य है। इसके विरुद्ध जो शास्त्र है, वह ऋषि-प्रोक्त होने पर भी त्याज्य है। मनुष्य को न्याय्य बात को ही मानना चाहिए।

महापुरुष–चरितम्

गुरुवर विरजानन्द–

(i) आर्षग्रन्थाध्ययनविलोपो जातो भारतवर्षे सर्वत्रैवानार्षपुस्तकाध्ययने जना निमग्नाः।
दृष्ट्वानिष्ठ खलु परिणामं बद्धपरिकरो वीरो वन्दनीयकमनीयपदोऽसौ, विरजानन्दमहात्मा ॥१८

भारत में आर्षग्रन्थों के अध्ययन का लोप हो गया, सर्वत्र लोग अनार्ष ग्रन्थों के अध्ययन में निमग्न हो गये, इसके अनिष्ट परिणाम को देखकर उसके निवारणार्थ कटिबद्ध धैर्यशाली महात्मा विरजानन्द जी अत्यन्त वन्दनीय है।

महर्षि दयानन्द–

(ii) अधिकतम उदारो धर्मसम्बोधकेषु श्रुतिविहितविचारो लोकसंरक्षकेषु ।
विदितनिगमसारो ब्रह्मचार्यग्रगण्यो, जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥ २७ ॥

धर्म का उपदेश करने वालों में जो सबसे अधिक उदार थे, लोक संरक्षकों में जो वैदिक विचारों के प्रचारक थे, ब्रह्मचारियों में अग्रणी वेदसार को जानने वाले उन वन्दनीय महर्षि दयानन्द की जय हो।

स्वामी श्रद्धानन्द–

(iii) येषां जीवितमेव सर्वमभवल्लोकोपकारेऽर्पितं,
दातुं वैदिकशिक्षणं गुरुकुलं, संस्थापितं यैः शुभम् ।
अस्पृश्यत्वनिवारणार्थमनिशं, यत्नः कृतो यैः सदा,
श्रद्धानन्दमहोदयान् गुरुवरान् वन्देऽति भक्त्या युतः ॥ ३६ ॥

जिनका समस्त जीवन लोकोपकार के लिये अर्पित था, वैदिक शिक्षा देने के लिये जिन्होंने गुरुकुल स्थापित किया, अस्पृश्यता दूर करने का जिन्होंने दिन-रात प्रबल प्रयत्न किया, ऐसे गुरुवर्य स्वामी श्रद्धानन्द जी को अतिभक्ति से मैं नमस्कार करता हूँ।

(महापुरुषकीर्तनम्—पं० धर्मदेव)

□□□

वित्तेनैव न कौलिन्यम्

—श्री वेदप्रकाश शास्त्री
संस्कृत-विभाग गु० कां० वि० वि०

नाना-प्रपञ्च-पुष्कले, बहुविधमानवमण्डलमण्डिते, विशाले संसारे समये समये मानवा आयान्ति यान्ति च। मननशीलो हि मनुष्यः सर्वं कर्मजातं स्वधिया परधिया वा विचार्य सम्पादयति। सर्वेषां जनानां स्वाभाविकः सुखाभिलाषः। अतएव प्रतिक्षणं सुखं यथाकामं कामयन्ते नराः। सुखोपकरणानि बहुविधानि सन्ति परं जनैस्तु सुखोपकरणशिरोमणित्वेन वित्तस्यैव वन्दनं विहितम्। अद्यतनीयाः सर्वेऽपि नरा यदि क्वचिद् गच्छन्ति तर्हि धनार्थमेव। यदि किमपि लिखन्ति वदन्ति वा सर्वं धनमभि-लक्ष्यैव। सर्वेषामपि मनुष्याणां जीवनं धनावृतमेव। केनचिद् विदुषा "अर्थकारी विद्या" इत्युदीर्य विद्याया विद्यात्वं धनापेक्षयैव साधितं न तु तन्निरपेक्षया। मानवानां सर्वविधाभ्युदयार्थं प्रभुप्रदत्तेषु वेदेषु धनस्य महीयान् महिमा वर्णितः परं तत्र धनं केवलं साधनमेवास्ति न तु साध्यम्। अद्यत्वे जनानां जीवने केवलं धनस्यैव कथा कथ्यते, तस्यैव कथा श्रूयते, तत्परम्पराप्रसूतिरेव प्रसूयते। अतएव सर्वेषां गीर्वाणवाक्-कोविदानां परं परिचितः कश्चिद् विद्वान् "यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः" इत्युदीर्य साटोपं वित्तवैशिष्ट्यं समुदाहरत। परं मन्ये उक्तिरियं कस्यचिद् लौकिकाभ्युदयाङ्कवर्तचित्तस्य, याथार्थ्यजगतो विदूरङ्गतस्य, अपर्यालोचितशास्त्रस्य, अज्ञानवृत्तिविधूतेन्द्रियस्य मूढाधिपस्य चास्ति। यो निकृष्टेन, मिथ्यासंसारप्रोद्भूतेन, सकलकल्मषकारकेण, बन्धुताया अपहारकेण, प्रेमभावक्षारकेण, सदाचारसज्जसज्जनविगर्हिकेन वित्तेन युक्तं नरं कुलीनं मत्वा काममपि अक्षेमकरीं परिपाटीं प्रचारयन् अखिलमपि जगदतिसंवत्ते। केवलं वित्तेश्वर एव कुलीनो भवति वागियं महतीं विडम्बनामावहति। संसारेऽस्मिन् यैर्गुणैर्भूषितः पुरुषः कुलीनो भवति तेषु गुणेषु वित्तस्य क्वचिद् गणनापि न कृता। देवकल्पा ऋषयो मुनयश्च मानवजीवनमुन्नेतुं काले-काले मधुराणि सारगर्भाणि सरसानि गद्यपद्यमयानि गीतान्युज्जगुः। परं न तैः क्वचिदपि वित्तप्रशंसनं कृतम्। श्वेताश्वतरोपनिषदि गुणाष्टकप्रसङ्गे अष्टावात्मगुणाः परिगणिताः तत्र क्षान्तिर्दयानसूया शौचमनायसमाङ्गल्यमकार्पण्यमस्पृहाख्येषु च गुणेषु वित्तस्य नास्ति गन्धोऽपि किमुत् महत्त्वम्। वित्तार्जनार्पितजीवनानां वित्ताधिपानां जीवनवृत्तं सर्वविदितमेव। प्रतिदिनं वयं धनिकानां कुकृत्यानि विलोकयामः, समाचारपत्रेषु पठामः परस्परमा-लोचयामश्च। प्रायशः संसारे सर्वत्रैव विलोक्यते यदेको मानवः सुतरां नास्ति धनिको नापि च तदन्तिके मुद्रायोगः परं तथाप्यसौ निर्मुद्रः सन्नपि सज्जनः स्वजीवने चरित्रशुद्धिमातनोति, उदात्त भावानभिरक्षति, प्रेमलतामभिसिञ्चति, सौमनस्यमाबध्नाति, अन्योन्यं संगठनग्रन्थिं द्रढयति च।

परं यो हि वित्तमधिगत्य धनाधिपसंज्ञावेद्यो भवति स तु धनमदिरां पायं पायं उन्मत्तः सन् दुष्टो वारण इव बान्धववृक्षानुत्पाट्य प्रक्षिपति, राहुरिव चरित्रचन्द्रं ग्रसति, सर्प इव दुग्ध दातॄन् दशति, सिंह इव औदार्यमृगं परिभूय पीडयति, श्वा इव जघन्यकर्मनग्नः साधून् क्लेपयति, उलूक इव असत्कर्मतमसि दूरं विलोकयति, तस्कर इव स्वापरजनाना धनमपहरति, पिशाच इव क्रूरक्रियाखड्गेन दीनानाथानां सुखामिषं समाच्छिद्य साट्टहास हसननुदिनमत्ति च। अहो, यस्य पुरुषस्य विषये महतां हृदये भावनेयमा-विर्भवति यदसौ मनुष्यः संसारे देवकल्पः, ऋषितुल्यः, भगवद्भक्तः, योगिसमः, मुनिरूपो वा भूत्वा स्वात्मवैशिष्ट्यमाप्नुयात् स एव पुरुष क्षणनश्वर वित्त प्राप्य महतां तपस्विनां, धर्मविदां, यशस्विनां, वेदविदाञ्च विनिन्द्यो भवति। तथापि यदि केषाञ्चित् मतमिदं प्रस्फुटति यत् सकलदोषयोनिं धनमवाप्य पुमान् प्रशस्यो भवति तर्हि मानवजातेर्मनस्वितायाश्चेतोऽधिकं किन्नाम् दुर्भगत्वम्। मानवानामभ्युदयार्थं विरचितेषु वेदेषु, उपनिषत्सु ब्राह्मणग्रन्थेषु, स्मृतिशास्त्रेषु, धर्मशास्त्रेषु, पुराणादिग्रन्थेषु च क्वचिदपि धनस्य नैतावन्माहात्म्यं स्वीकृतं येन जनाः पूज्याः सभजनीया वा स्युः। सत्साहित्ये सर्वत्र धर्मधनानां, कर्मकाण्डपराणां, सत्यान्वेषणक्षपितक्षणानां, नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनादिकर्मनिरतचित्तानां, वेदानुद्धर्तुं मापीतकालकूटाना, परोपकारव्यापृतानां च पुरुषाणां समर्चनं दृश्यते न तु कथञ्चित् कदाचित् कुतश्चित्कतिपयार्जितवित्तकणानां, पापिष्टजनोचिताचाराणां धनिकानाम्। अत एव महाभारते द्वैपायनो हस्तमुद्यम्य चत्वरमञ्चमार्गस्थान् सर्वान् मानवानुद्बोधयन् प्राह।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नैव कश्चिच्छृणोति माम्।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते॥

एतेनैव प्रतीयते यद् जीवनतत्त्वविदा महर्षिणा व्यासेन मूलभूततत्त्वरूपेण धर्म एव प्रख्यापितो मार्गः। याज्ञवल्क्यं याज्ञिकं को न वेत्ति येन धनलोलुपा, सांसारिकसुखविमुग्धहृदया कात्यायनी नामधेया पत्नी तपस्तप्तुं स्वसार्धं न नीता, अपितु परित्यक्तधना, प्रभूतदाक्षिण्या, भक्तिरस सरस सहृदया मैत्रेयी स्वहृदयेप्रतिष्ठापदवीमारोपिता। अद्यत्वेऽपि कोऽपि जनो न केवलेन वित्तेन पूज्योऽपितु गुणगणेन कुलीनो भवति गणनीयो मान्यश्च भवति।

महाकविना बाणभट्टेन कादम्बर्याख्ये गद्यग्रन्थे चन्द्रापीडस्य राज्याभिषेकावसरे शुकनासमुखेन लक्ष्म्या विषये योऽनुपम उपदेशः प्रदत्तः स सर्वेषां संस्कृतज्ञानां केवलं नापितु साहित्याधिगमाहित-रुचीनां सर्वेषामेव सुविदितः तस्योपदेशस्य कतिपयानि सुतरां रम्याणि पदजातानि प्रस्तूयन्ते :—
"इयं हि सुभटखड्गमण्डलोत्पल-वन-विभ्रमभ्रमरीलक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजातपल्लवेभ्यो रागम्

इन्दुशकलादेकान्तवक्रताम्, उच्चैःश्रवसश्चञ्चलताम्, कालकूटान्मोहनशक्तिम्, मदिराया मदम् इत्यैतानि सहवासपरिचयवशाद् विरहविनोदचिह्नानि गृहीत्वैवोद्गता । इयं लक्ष्मीः पालितापि प्रपलायते, न परिचयं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, नापि च कुलक्रममनुवर्तते ।" एवं प्रकारेण बाणेन लक्ष्म्या सर्वोऽपि दोषनिचयः समुद्घाटितस्तथा पुरुषाणां कृते कोऽपि जीवनोल्लासकर उपदेशो दत्तः ।

मुद्राराक्षसाभिधे नाटके महाकविना विशाखदत्तेनैकमेव पद्यमुपन्यस्य इयं लक्ष्मीरित्थं गर्हिता :—

तीक्ष्णादुद्विजते मृदौ परिभवत्रासान्न संतिष्ठते,
मूर्खान् द्वेष्टि न गच्छति प्रणयिनामत्यन्त विद्वत्स्वपि ।
शूरेभ्योऽप्यधिकं बिभेत्युपहसत्येकान्त भीरुनहो,
श्रीर्लब्ध प्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भृशम् ॥

एवं सुपर्यालोचितशास्त्राणां, तत्त्वविदां महतां विदुषां प्रकाशकरं वाक्यजातं स्मारं स्मारं लौकिकैः सर्वैरेव जनैः स्वजीवन यात्रा विधेया नान्यथा ।

□□□

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि च तं नरं न रञ्जयति ॥ (नीतिशतक)

अज्ञानी को सरलता से सन्तुष्ट किया जा सकता है। विशेषज्ञ को और भी अधिक सरलता-पूर्वक समझाया जा सकता है; किन्तु जो ज्ञान के अंशमात्र को प्राप्त करके अपने को पण्डित समझता है, ऐसे मनुष्य का सन्तोष या रंजन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता।

ऋग्वेद में 'हिन' निपात

—डॉ० राकेश शास्त्री

ऋग्वेद में 'हिन' निपात का प्रयोग 'निश्चय' अर्थ में हुआ है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में इस निपात की एक बार आवृत्ति हुई है।1 वहां यह निपात अन्तोदात्त स्वर से युक्त प्रयुक्त हुआ है।2 मन्त्र के प्रथम चरण में प्रयुक्त इस निपात का सर्वनाम 'सः' के तुरन्त पश्चात् प्रयोग मिलता है।3 संहितोत्तरकालीन ऋग्वैदिकसाहित्य ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों में इस निपात का अभाव ही है।4 लौकिक संस्कृत साहित्य में भी इसका प्रयोग नहीं मिलता। अधिकांश लौकिक संस्कृत कोशों में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।5 मोनियर विलियम्स ने इस निपात का 'फॉर और 'बीकॉज' अर्थ किया है तथा उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के प्रस्तुत स्थल का ही निर्देश किया है।6

अब देखना यह है कि ऋग्वेद में एक बार प्रयुक्त इस निपात की वस्तुतः क्या स्थिति है एवं यह निपात वहां वस्तुतः किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जिस मन्त्र में यह निपात प्रयुक्त हुआ है उसकी व्याख्या में ऋग्वेद के सभी भाष्यकार एक मत नहीं हैं।

'हिन' की निपात रुप में स्थिति—

'हिन' निपात के सम्बन्ध में प्रथम तो यह विचारणीय है कि इसकी स्वतन्त्र निपात के रूप में क्या स्थिति है, क्योंकि आचार्य सायण के मत में यह दो निपातों 'हि' एवं 'न' का समुदाय है।7 परन्तु विचार करने पर आचार्य सायण का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि हम इस निपात को 'हि' तथा 'न' निपातों का समुदाय मानते हैं तो शङ्का होती है कि मन्त्र की व्याख्या में 'न' निपात को किस अर्थ में प्रयुक्त माना जाए। 'न' निपात ऋग्वेद में लगभग दो सहस्र बार प्रयुक्त हुआ है,8 साथ ही इस निपात के विविध अर्थ हैं,9 तथापि यह निपात अन्य अर्थों की अपेक्षा 'उपमा' एवं 'निषेध' अर्थों में

१ ऋ०–६-४८-२। २ ऋग्वेद संहिता, मोक्षमूलर, चौखम्बा प्रकाशन, १९६५, भाग १।
३ ऋ० ६-४८-२ : उर्जः नपात सः हिन………… ।
४ वैदिक–पदानुक्रम–कोश–सम्पादक विश्वबन्धु।
५ अमरकोश, शब्दकल्पद्रुम, शब्दस्तोम महानिधि, वाचस्पत्यम्, हलायुध कोश, युगल कोश, वैजयन्ती कोश, मेदिनी कोश में इस निपात का उल्लेख नहीं किया गया है।
६ मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंग्लिश-डिक्सनरी, १९७६।
७ सा. भा., ऋ० ६-४८-२ : 'हिन' इति निपातद्वयसमुदायः………… ।
८ विश्वबन्धुः वैदिक पदानुक्रम कोश।
९ 'उपमा' 'निषेध', 'समुच्चय', 'अपि' एवं 'एव' अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

अधिक प्रयुक्त हुआ है। किन्तु प्रस्तुत स्थल पर 'न' के किसी भी अर्थ का औचित्य संगत प्रतीत नहीं होता। अतः यहां 'हिन' निपात को दो निपातों 'हि'तथा 'न' का समुदाय न मानकर एक निपात के रूप में स्वीकार करना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

स्कन्दस्वामी के मत में भी प्रस्तुत स्थल पर 'हिन' निपात एक उदात्त स्वरयुक्त होने के कारण दो निपातों का समुदाय न होकर एक निपात ही है।[1] वस्तुतः स्कन्द स्वामी द्वारा इस निपात को एक निपात मानना ही समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि ऋग्वेद में 'हि' निपात का छः सौ बासठ बार प्रयाग हुआ है[2] एवं सर्वत्र यह निपात उदात्त स्वरयुक्त ही प्रयुक्त हुआ है।[3] जबकि 'हिन' निपात अन्तोदात्त स्वरयुक्त है। यदि यह निपात दो निपातों का समुदाय होता तो एक उदात्त स्वर से युक्त प्रयुक्त न होता क्योंकि 'हि' और 'न' दोनों ही उदात्त स्वर वाले निपात हैं।

इसके अतिरिक्त वेंकट माधव ने भी इस निपात को एक निपात मानकर ही मन्त्र की व्याख्या की है।[4] स्वामी दयानन्द सरस्वती भी इसे एक निपात ही स्वीकार करते हैं।[5] मोनियर विलियम्स के मत में भी यह एक ही निपात है। यद्यपि उन्होंने इसका 'फॉर' एवं 'बिकॉज़' अर्थ किया है तथापि एक निपात होने के विषय में उनकी सम्मति में कुछ भी संदेह नहीं है[6], क्योंकि उन्होंने 'हिन' निपात का विवरण देते हुए उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के प्रस्तुत स्थल को ही उद्धृत किया है।[7]

अतः हमारी सम्मति में आचार्य सायण द्वारा प्रस्तुत स्थल पर 'हिन' निपात को दो निपातों 'हि' तथा 'न' का समुदाय मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत मन्त्र में एक निपात के रूप में इसकी स्थिति स्पष्ट है। अतः 'हि न' को स्वतन्त्र निपात ही मानना चाहिए।

'हिन' निपात का 'निश्चय' अर्थ में प्रयोग—

'हिन' की स्वतन्त्र निपात के रूप में स्थिति स्पष्ट करने के पश्चात् ऋग्वेद के प्रस्तुत स्थल पर यह निपात किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह विचारणीय है। ऋग्वेद का यह विवेच्य स्थल छठें मण्डल का है—

---

१ स्क. भा, ऋ० ६-४८-२: एकोदात्तत्वात् एक निपातोऽयम्।

२ ऋग्वेद संहिता-(सूची खण्ड) पंचमो भागः, वै. रि. इन्सटो. पूना, शक १८६८। ३ वही।

४ व. भा., ऋ० ६-४८-२ : हिनेति इति निपातो हि पर्यायः।

५ द. भा. वही: पदार्थः—(हिन) खलु।

६ मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंग्लिश डिक्सनरी, १९५६, पृ. १२९७। ७ वही।

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये ।
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता तनूनां ॥ (ऋ० ६-४८-२)

प्रस्तुत मन्त्र में 'हिन' निपात का प्रथम चरण में प्रयोग हुआ है। मन्त्र में इन्द्र की स्तुति की गयी है। आचार्य सायण ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 'हिन' को "हि" तथा 'न' निपातों का समुदाय मानकर 'हि' अर्थ वाला स्वीकार किया है।[1] किन्तु स्कन्दस्वामी ने प्रस्तुत स्थल पर 'हिन' निपात को 'यस्मात्' अर्थ वाला माना है। उनकी व्याख्या में इसे 'हि' का समानार्थक स्वीकार किया गया है।[2] 'हि' निपात की व्याख्या करते हुए सायण ने अधिकांश स्थलों पर उसका यस्मादर्थ ही किया है।[3] ग्रिफिथ भी प्रस्तुत स्थल पर उसे हेत्वर्थक स्वीकार करते हैं।[4] स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका 'खलु' अर्थ किया है।[5] उनकी व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होती है। वेंकटमाधव भी इस निपात को 'हि' का पर्याय मानते हुए 'खलु' अर्थ करते हैं।[6] क्योंकि मन्त्र में अग्नि देवता से देवताओं के लिये हवि ले जाने की कामना की गयी है।[7] इसलिये मन्त्रार्थ में निश्चयात्मकता की प्रतीति ही उचित प्रतीत होती है।

अतः मन्त्रार्थ के औचित्य की दृष्टि से प्रस्तुत स्थल पर 'हिन' निपात का 'निश्चय' अर्थ ही समीचीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन से एक तथ्य सामने आता है कि ऋग्वेद में 'हिन' निपात की स्वतन्त्र निपात के रूप में स्थिति मिलती है तथा उस स्थल पर यह 'निश्चय' अर्थ का द्योतक है, क्योंकि उसका भाष्यकारों की सम्मति में प्रकरण के आधार पर 'खलु' अर्थ ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है।

अतः 'हिन' निपात को निश्चयार्थक निपातों की श्रेणी में रखने में तनिक भी अनौचित्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 'हि' निपात की गणना निश्चयार्थक निपातों में सर्वसम्मत है और 'हिन' को ग्रिफिथ एवं स्वामी दयानन्द के अतिरिक्त प्रायः सभी भाष्यकार 'हि' का पर्याय स्वीकार करते हैं। ☐

---

१ सा० भा०, ऋग्वेद ६-४८-२ : ऊर्जः अन्नस्य बलस्य वा नपातं पुत्रं प्रशंसिषमित्यनुषङ्गात् हिन इति निपातद्वयसमुदायो हीत्यस्यार्थे।

२ स्क० भा०, वही : एक निपातोऽयम् हिशब्देन समानार्थः यस्मादर्थे वर्तते।

३ लेखककृत शोध प्रबन्ध, ऋग्वेद के निपात (निश्चयार्थक) : एक अध्ययन।

४ ग्रि० भाष्य, ऋ० ६-४८-२ : The Son of Strength; for is he not our gracious Lord ?

५ दया० भा०, वही: ऊर्जः (पराक्रमस्य) नपातं (अपातयिता) सः हिन (खलु) अयम् अस्मयुः (अस्मान् कामयमानः) दाशेम (दद्याम)

६ वें० भा०, वही: हिनेति इति निपातो हि पर्यायः ऊर्जः पुत्रं प्राशंसिषम्। सः अयम् खलु अस्मत्कामः। तस्मै देवानां हविषां दात्रे हविः दाशेम। ७ वही।

गताक से आगे—

आचारशास्त्र : एक तुलनात्मक अध्ययन

—डॉ० जयदेव वेदालकार

अध्यक्ष, दर्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

प्रथम—ब्रह्मचर्याश्रम—इस आश्रम के अपने धर्म हैं, अथवा कर्तव्य हैं। इस आश्रम मे ब्रह्मचारी को गुरुओं की आज्ञापालन और विद्यार्जन करना होता है। महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मचर्याश्रम के कर्तव्यो का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास मे इस प्रकार किया है। जैसे विद्वान् सारथी घोड़ो को नियम मे रखना है वैसे मन और आत्मा, खोटे कामो म खीचने वाले विषयो मे विचरती हुई इन्द्रियो के निग्रह मे प्रयत्न सब प्रकार से करें।1

जीवात्मा इन्द्रियो के बस मे होके बडे-बडे दोषो को प्राप्त होता है इसमे कोई संशय नही है। जब इन्द्रियो को वश मे करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है2।

विद्वान् और विद्यार्थियो को योग्य है कि वे वैरबुद्धि छोडकर सब मनुष्यो को कल्याण मार्ग का उपदेश करे और उपदेश मे सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें। जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य का उपदेश करें। जिस मनुष्य के वाणी तथा मन सदा शुद्ध तथा सुरक्षित रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदो के सिद्धान्त रूप फल को प्राप्त होता है।3 (सत्यार्थ० ३ समु०)

इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम मे ब्रह्मचारी के लिए महर्षि दयानन्द ने उसके नैतिक नियमो का उल्लेख किया है।

दूसरा आश्रम—गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम मे मनुष्य विवाह करके प्रतिदिन पंच महायज्ञो का पालन करता है। गृहस्थ पुरुष शेष तीनो आश्रमो का पालन पोषण करता है। इसलिए गृहस्थाश्रम और भी उत्तरदायित्व पूर्ण आश्रम है।

महर्षि दयानन्द का कथन है कि गृहस्थ रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक कार्य कर धर्म और अर्थ, शरीर के रोगो का निदान और परमात्मा का ध्यान करे। कभी भी अधर्म का आचरण न करे।4

गृहस्थ को चाहिए कि अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और गोत्र के तथा अन्य भद्र पुरुष वा जो वृद्ध हो उन सबको अत्यन्त प्रसन्नता से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार

---

१ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्॥ मनु० २ ८८॥

२ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशय, सन्नियम्य तु तान्येव तत सिद्धिं नियच्छति॥

३ अहिंस्यैव भूताना कार्यं श्रेयोऽनुशासन, वाक् चैव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता।
यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा, स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगत फलम्॥ मनु० २ १५९

४ ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। मनु० ४ ९२॥

अर्थात् जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और स्वस्थ रहे उस-उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करना श्रद्धा और तर्पन कहाता है (सत्यार्थ प्रकाश ४ समु०)। इसी प्रकार गृहस्थ अपने कर्त्तव्यों का पालन करता हुआ अपने विकास और राष्ट्र की उन्नति मे सदा लगा रहे।

तीसरा आश्रम—वानप्रस्थाश्रम है। इस आश्रम मे मनुष्यो का कर्त्तव्य है कि गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके शहर से बाहर अथवा एकान्त स्थान मे जाकर तपस्या आदि का आचरण करता हुआ जिस विद्या की न्यूनता गृहस्थ मे रहते हुए हो गई थी उसको पुन प्राप्त करके पढने-पढाने का कार्य करे।

चौथा आश्रम—सन्यास आश्रम है। इस आश्रम मे ससार के सभी राग द्वेषों से ऊपर जाकर तत्त्व-ज्ञान को प्राप्त करके निष्पक्ष भाव से सर्वत्र सत्य का उपदेश करें। महर्षि दयानन्द ने पचम समुल्लास मे लिखा है कि सन्यासी, बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक कर उनको ज्ञान और आत्मा मे लगावे उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा मे लगावे और उस विज्ञान को शान्त स्वरूप आत्मा मे स्थिर करे। (पचम समुल्लास)। सब भूतो मे इन्द्रियो के विषयो का त्याग वेदोक्त कर्म और अत्यु-ग्रतपश्चरण से इस ससार मे मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नही।

(सत्यार्थ प्रकाश पचम समुल्लास)।

यह समाज का प्रथम सामाजिक विभाजन है। दूसरा इस प्रकार है समाज के चार वर्ग किये गये हैं १ ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, ३ वैश्य, ४ शूद्र।

महर्षि दयानन्द इन चारो वर्णों को जन्म से न मानकर कर्म से मानते हैं। उनका कथन है कि जन्म से सब शूद्र हैं उनका वर्ण निर्वाचन कर्म से होता है [1]। इनमे ब्राह्मणो का कर्त्तव्य है अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना तथा कराना, दान लेना एव देना[2]। मन से बुरे कर्मों की कभी भी इच्छा न कर और कभी भी अधर्म में प्रवृत्त न होवे। इन्द्रियो को विषयो से रोक और जितेन्द्रिय होकर सदैव धर्म का अनुष्ठान करे। ये भी ब्राह्मण के कर्तव्य हैं।[3]

क्षत्रियो के कर्त्तव्य इस प्रकार हैं। जनता की रक्षा करना, परन्तु दुष्टो को दण्ड देना। दान देना परन्तु सुपात्रो को और वेदादि शास्त्रो को अध्ययन करना। विषयो मे कभी भी आसक्त न होना ये क्षत्रियो के कर्त्तव्य हैं।[4]

वैश्यो के कर्त्तव्य—पशुओ का पालन एव संवर्धन करना, विद्या आदि की वृद्धि के लिये दान

---

१ जन्मना जायते शूद्रः, कर्मणा द्विज उच्यते।

२ अध्ययन अध्यापन यजन याजन तथा दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥

३ शमो दमस्तप शौच क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।

४ प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत ॥

देना, और सत्य शास्त्रों का पढ़ना सब प्रकार के व्यापार करना, अनधिकार ब्याज न लेना और कृषि करना बतलाये गये हैं।[1]

शूद्रों के कर्तव्य इस प्रकार हैं—अभिमान आदि दोषों को छोड़ कर शेष तीनों वर्णों की सेवा करना।

ये चारों वर्णों के संक्षेप में कर्तव्य हैं। ऋषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि "जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस-उस वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोष–युक्त होगें तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल–चलन और विद्या–युक्त न होगें तो हमें शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों का उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा।" (सत्यार्थ० ४ समु०)

महर्षि के उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि चारों वर्ण अपने-अपने स्थानों पर श्रेष्ठ हैं हां, शूद्र के विषय में उन के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शूद्र उसी को कहेंगे जो विद्या आदि को प्रयास करने पर भी प्राप्त न कर सकें। अर्थात् जो केवल सेवा आदि ही कर सकें। यह किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, अपितु जो इस योग्य होगा वह शूद्र कहलायेगा चाहे वह ब्राह्मण की ही सन्तान क्यों न हो।

अतः भारतीय मनीषियों ने समाज का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि सभी व्यक्तियों को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो। महर्षि दयानन्द का कहना है कि समाज का वातावरण इस प्रकार का हो कि हम सदैव सत्य का आचरण कर सकें इसलिये आर्यसमाज के छठे नियम में उन्होंने कहा है कि **सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।** जब इस प्रकार का वातावरण बन जावेगा तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इस के लिये उन के अनुसार वेद में बतलाया मार्ग अपनाना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य का ज्ञान संशयात्मक हो सकता है परन्तु वेद का ज्ञान निर्भ्रान्त है। वेद में सामाजिक संगठन के लिये बहुत सुन्दर उपदेश है–हे मनुष्यों! साथ मिलकर चलो, सम्यक् प्रकार से बोलो और अपने मन को समान बनाओ।[2] इसी प्रकार कहा है–संसार में जो कुछ भी है, उसमें परमात्मा व्याप्त है। यह संसार जो भोगस्वरूप प्राप्त हुआ है इसका उपयोग त्यागपूर्वक करो, लोभ मत करो। यह धन किसी

१ पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥

२ संगच्छध्वं संवदध्वम् सं वो मनांसि जानताम् (ऋग्वेद १०.१०१)

का भी नहीं हुआ और न होगा ।[1] वस्तुतः वह वेद का मार्ग सर्वोत्तम सुनहरी मार्ग है ।

व्यक्तिगत कर्त्तव्य यह है कि हम स्वच्छ रहें, जो पुरुषार्थ के पश्चात् प्राप्त हो उसमें सन्तुष्ट रहें। सुख दुःख आदि द्वन्द्वों को सहन करें, ईश्वर को सर्वव्यापक जानते हुए उस का स्मरण करें[2] आदि नियम कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत धर्म हैं इस का पालन करना चाहिये।

महर्षि जी के नीति सम्बन्धी विचारों का विवेचन करने से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि मनुष्य एक इकाई है, वह नैतिक सिद्धान्तों का प्रारम्भ है अर्थात् समाज के लिये व्यक्ति और व्यक्ति के लिये समाज है। जबकि हेगल कहता है समाज के लिये व्यक्ति है। परन्तु ऋषि जी के विचारानुसार दोनों में किसी एक का महत्त्व न्यून नहीं समझा जा सकता है। काण्ट का जो यह कहना है शुभ ऐसा हो जो अपने में शुभ हो अर्थात् संक्षेप शुभ, शुभ नहीं है। परन्तु वह शुभ क्या-क्या हो ? इस को काण्ट गिना नहीं पाये। अतएव ऋषि जी का नीति शास्त्र व्यावहारिक है। उसे व्यवहार के धरातल की कसौटी पर कस कर देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि दुष्टता को सहन करने वाला दुष्ट मनुष्य से भी बुरा है। अहिंसा कहां पर हिंसा, और हिंसा कहां पर अहिंसा बन जाती है इस का सुन्दर विवेचन ऋषि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास के राजनीति प्रकरण में किया है जबकि काण्ट इस से भिन्न मानता है।

ऋषि दयानन्द जहां यह बतलाते हैं कि इन नैतिक सिद्धान्तों का उपयोग हमें बुद्धिमानी से करना होगा वहां वे यह भी नहीं मानते है कि आचार अपने-अपने देश की मान्यता है, क्योंकि अहिंसा आदि शाश्वत नियमों को स्वीकार करते हैं। पूर्व अफ्रीका के किसी स्थान पर चतुर चोरों को पारितोषिक दिया जाता है। अतः उनका यही नैतिक सिद्धान्त हुआ। उत्तर–नैतिक सिद्धान्तों को परिवर्तनशील नहीं माना जा सकता है। चोरी करना सब स्थानों पर बुरा है। नैतिकता के कुछ शाश्वत सिद्धान्तों को सार्वभौम मानना ही होगा। हां यदि कभी आपत्ति काल में किसी राष्ट्र के रक्षक राष्ट्र की रक्षा के लिये ऐसा करते हैं तो ये एक अपवाद माना जा सकता है, क्योंकि उन की भावना नैतिक है। अपने स्वार्थ के लिये चोरी आदि कभी भी, कहीं भी नैतिक नहीं है।

□

१ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेनभुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ यजु० ४०-१।

२ शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ (योग०, सत्यार्थ तृ० समु०)

स्वामी दयानन्द के विवाह विषयक विचार

–रवीन्द्र कुमार, रिसर्चस्कॉलर

भारतीय दर्शन के महान् आधुनिक चिन्तक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानन्द 'सरस्वती' ने अल्प आयु में मानव विवाह को एक राष्ट्रीय क्षति के रूप में स्वीकार करने के उपरान्त उन्होंने इसको पूर्णतया समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। चिरकाल से व्याप्त इस सामाजिक बुराई की जो अज्ञानता पूर्ण स्थिति की द्योतक है तथा भावी पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है, को इस राष्ट्र के प्रति चिन्तित व्यक्तित्व ने मानवता हेतु अभिशाप की संज्ञा दी है।

शताब्दियों पूर्व यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने जनसंख्या की वृद्धि तथा अज्ञानता की स्थिति में विवाह के प्रति मानव विश्व को सचेत किया था।[1] परन्तु प्लेटों का दृष्टिकोण अति अव्यवहारिक तथा संकुचित था जिस कारण वह कार्यान्वित नहीं हो सका तथा उसमें जो अच्छाई भी थी, वह भी आलोचना की शिकार हो गई। महर्षि दयानन्द ने इसी दृष्टिकोण को प्रदान कर मानव विश्व को देन के रूप में प्रदान किया तथा इसकी मुख्य विशेषतायें ये हैं—

१—श्रेष्ठ व्यंवहारिकता-युक्त २—आधुनिकता से युक्त तथा ३—वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त

यदि एक सौ वर्ष पूर्व भी महर्षि के गम्भीर संकेत को पूर्णता से ग्रहण कर लिया जाता तो कम से कम भारत की जनसंख्या विषयक दयनीय दशा आज नहीं होती, क्योंकि बाल विवाह की इस कुरीति ने जनसंख्या वृद्धि में उच्च भूमिका निर्वाह की है।

बाल विवाह निषेध चिन्तन, महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त वह अमूल्य देन है जो उनको एक समाज-वैज्ञानिक ठहराती है। उनके द्वारा इस संदर्भ में दिया गया प्रत्येक तथ्य अटल सत्य पर आधारित तथा वैज्ञानिक है। जितना महत्त्व इसके लिये उनके विचारों का तब था, उससे भी अधिक आज है क्योंकि यह समस्या विभिन्न रूपों में आज भी विद्यमान है। न केवल भारतवर्ष ही अपितु समस्त विश्व के लिये उनके विचार इस हेतु महत्त्वपूर्ण भी हैं।

बाल-विवाह : एक सामाजिक कुरीति–

भारत में बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रही है तथा यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस कुप्रथा को दर्शन या धर्मग्रन्थों से त्रुटिपूर्ण रूप में जोड़ने का

१ राजनीति दर्शन का इतिहास : जार्ज एच० सेबाइन, पृष्ठ ५५/५६।

प्रयास किया गया। शास्त्रों के ठेकेदारों द्वारा इस सम्बन्ध में अपूर्ण व असत्य अर्थ निकाल कर यह प्रमाणित करने का प्रयास जारी रहा कि छोटी आयु में विवाह शास्त्र-सम्मत है। महर्षि दयानन्द ने इस त्रुटिपूर्ण व पाखण्ड पूर्ण अर्थों को ललकारा तथा उचित व सत्य व्याख्याएँ करके जनमानस को सचेत किया।

"पाराशरी" व "शीघ्रबोध" में उल्लिखित इस तथ्य को कि ८ वर्ष में ही कन्या का विवाह कर देना चाहिये क्योंकि इसके उपरान्त "रजस्वला कन्या" को देखकर माता पिता व उसका बड़ा भाई नरक के भागी होते हैं[1] को महर्षि ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में हमें सत्य शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिये तथा मिथ्यापूर्ण शास्त्रों को त्याग कर देना चाहिये। "मनुस्मृति" का उल्लेख करते हुए उन्होंनें कहा कि उसमें लिखा है—

"त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥[2]

अर्थात्—"कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे" तो जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं।[3]

महर्षि दयानन्द ने विवाह के इस प्रसंग में वेदों में लिखित तथ्यों को पूर्णता से ग्रहण करने का आह्वान भी किया। समाज में फैली इस कुरीति तथा उस पर त्रुटिपूर्ण ढंग से मिथ्या शास्त्रों के उदाहरणों का खण्डन कर महर्षि ने विवाह विषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। १६ वर्ष से कम आयु की कन्या तथा २५ वर्ष से कम आयु के वर विवाह को महर्षि ने आज्ञा प्रदान नहीं की। कन्या का विवाह १६ वर्ष से लेकर २४ वे वर्ष तक तथा वर का २५ वर्ष से ४८ वर्ष तक उचित ठहराते हैं।

बाल-विवाह के घातक परिणाम—

अपरिपक्वता की उस स्थिति, जिसने एक रोग के रूप में जन्म लेकर समाज को क्षतिग्रस्त व रोगी बना दिया, को महर्षि ने एक योग चिकित्सक के रूप में पकड़ा। उसके विभिन्न परिणामों से अवगत होकर पश्चात् चिन्तन करने की अचूक ओषधी प्रदान की। मुख्य रूप से महर्षि ने जो घातक परिणाम इस हेतु प्रदर्शित किये वे निम्नलिखित हैं—

१ "सत्यार्थ प्रकाश," चतुर्थ समुल्लास—आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, प्रथम संस्करण-२०३८, पृ० ५५।
२ वही पृ० ५७। ३ वही।

अपरिपक्वता की स्थिति–

जिससे शारीरिक व मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो पाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थिति शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ करने एवम् विद्याध्ययन द्वारा मानसिक परिपक्वता की होती है। अतः इस अवस्था में विवाह अत्यन्त ही हानिकारक है। यह प्रश्न भी देश के भाग्य से जुड़ा है कि वह पीढी जो कि देश की भावी कर्णधार है मानसिक व शारीरिक स्थिति से दुर्बल होने पर देश को कैसे श्रेष्ठ नेतृत्व दे सकेगी ? अतः उनका कथन अटल सत्य है कि—

जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहण रहित, बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार से ही सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है।[1]

जीवन साथियों में एक दूसरे के प्रति समझ, अल्पायु विवाह में संभव नहीं–

चूंकि अल्पावस्था के विवाहों में, संरक्षकों की प्रधानता होती है अतः अज्ञानतावश वर तथा वधू एक दूसरे के विचारों को जान नहीं पाते, परिणाम स्वरूप कालान्तर में मानसिक असन्तुलन, विचार भिन्नता उत्पन्न होती है। गृह-क्लेश बढ़ता है जो कि समाज तथा देश दोनों के लिये अत्यन्त हानिकारक है। पूर्वकाल से ही इस बात की चेतावनी मनु जी द्वारा भी दी गई—

कामममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यार्तु मत्यपि ।
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ।।[2]

चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर में बैठी रहे परन्तु गुणहीन के लिये इसका कभी दान न करें।[3]

जन्मने वाली पीढ़ी के लिये अत्यन्त हानिकारक–

बाल्यावस्था में विवाह का यह भी एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है कि जन्म लेने वाली पीढ़ी शारीरिक एवम् मानसिक दोनों रूपों में शक्तिहीन होती है। महर्षि का कथन अटल सत्य है कि वर

१ सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द सरस्वती, चतुर्थ समुल्लास–पृ० ५५ ।
२ मनुस्मृति–पृष्ठ ३७५ ।
३ सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानन्द सरस्वती, पृष्ठ ८ ।

की दुर्बल इन्द्रियां तथा वधू का अविकसित गर्भाशय पूर्ण शिशु निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। साथ ही अल्पायु में यौन सम्बन्धों को स्थापित करने में दोनों वर-वधू सक्षम नहीं होते। यह प्रसूति विज्ञान का भी कहना है यदि अल्पायु में सन्तानोत्पत्ति होती भी है तो निःसन्देह शिशु शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दुर्बल होंगे। विभिन्न रूपों में दुर्बलताओं का प्रभाव बुरे रूप से जीवन पर पड़ता है।[1]

इस प्रकार उपरोक्त कारण जो कि बाल विवाह के परिणाम स्वरूप सम्मुख आते हैं तथा जिनका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है जिनके प्रति महर्षि ने वैज्ञानिक रूप से सचेत किया है। महर्षि ने एक शताब्दी पूर्व इस दोषपूर्ण कुरीति से अलग हटने का आह्वान किया था। एक शताब्दी में टुकड़े करने पर २५ वर्षों के चार बराबर भाग होंगे तथा सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस का यह नियम है कि "यदि परिस्थितियां अनुकूल रहें तो २५ वर्षों में जनसख्या दो गुणी हो जाती है अविकसित मस्तिष्क व अल्पायु विवाह के कारण जनसंख्या में वृद्धि बड़े पैमाने पर हुई जिससे सभी परिचित हैं। इस कुप्रथा का यदि तभी पूर्ण निषेध हो गया होता तो जनसंख्या की गम्भीर समस्या इस रूप में न दीखती।

हमें आज भी समाज के उस क्रान्तिकारी वैज्ञानिक की इस बात पर पूर्णता से देखकर इस कुप्रथा को समाप्त करने की नितान्त आवश्यकता है। यदि जीवन को सुखी, समाज को श्रेष्ठ तथा राष्ट्र को उन्नतिशील बनाना है तो उस महर्षि के मार्ग को अपनाना ही होगा तथा मानवता को कुप्रथाओं से पृथक् करना ही होगा।

□

---

१ ऊन षोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्। यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते॥
जातो वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः। तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्॥
सुश्रुत–धन्वन्तरि।

स्फोटवाद

—डॉ विजयपालशास्त्री
प्रवक्ता—दर्शन-विभाग

स्फोटवाद वैयाकरणों का प्रधान सिद्धांत है किन्तु पातञ्जल योगसूत्र में भी स्फोटवाद का सिद्धान्त छिपा हुआ है। महर्षि पतञ्जलि ने योग शास्त्र का अनुशासन करते हुए तृतीय पाद में संयम जन्य सिद्धियों के प्रकरण में इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया है। "शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम्"1 इस सूत्र में निगूढ स्फोटवाद के सिद्धान्त को भाष्यकार व्यासदेव ने प्रकाशित किया तथा आचार्य विज्ञानभिक्षु, वाचस्पतिमिश्र, हरिहरानन्द-आरण्यक और नागेश भट्ट आदि व्याख्याकारों ने सरलीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसे सुवेद्य बनाया।

योग सम्मत स्फोटवाद के विवेचन से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इस सिद्धान्त की उत्पत्ति में क्या हेतु है? किन-किन दार्शनिकों ने इसे मान्यता दी है और कौन-कौन इसके विरोधी है?

स्फोट की आवश्यकता—

अपना अभिप्राय दूसरे तक पहुँचाने के लिए भाषा या बोली ही एक माध्यम है और भाषा के द्वारा ही एक प्राणी दूसरे का तात्पर्य स्वयं समझता है। किन्तु प्रश्न यह है कि किसी पद या वाक्य का अर्थ सभी व्यक्ति एकसा क्यों ग्रहण करते हैं? स्थूल रूप से इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा सकता है कि श्रवण से गृहीत होने वाले शब्दों में किसी अर्थ-विशेष को बतलाने का सामर्थ्य अवश्य रहता है जिससे सभी व्यक्ति उच्चरित पद का एक सा अर्थ ग्रहण करते हैं। दर्शन की भाषा में इसका उत्तर इस प्रकार है—घट पट आदि पद वर्ण रूप हैं। अनेक वर्णों के संयोग से एक पद बनता है और उस पद से अर्थज्ञान होता है। उत्पन्न होकर नष्ट होना वर्णों का स्वभाव है, अर्थात पहले क्षण में वर्ण उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिति धारण करता है और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। अनेक वर्णों का एक साथ उच्चरित होना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण पृथक पृथक समय में उच्चरित होता है। जैसे गो शब्द के ग वर्ण के उच्चारण के समय 'ओ' और विसर्ग की उत्पत्ति नही होती तथा विसर्ग के उच्चारण काल में ग' वर्ण नहीं रहता है। इस प्रकार जब उत्पत्ति विनाशशील वर्णों का सद्भाव ही नही बनता तब वे भिन्न-भिन्न क्षणवर्ती वर्ण संयोग के अभाव में पद का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं जिससे अर्थ ज्ञान हो सके? प्रत्येक असंयुक्त वर्ण में अर्थ-प्रत्यायन की शक्ति स्वीकार नही की गई है। अतः भिन्न-भिन्न काल में उच्चरित वर्णों से विशेष प्रक्रिया द्वारा होने वाले अर्थ बोध के लिए स्फोट सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

---

१ योग सूत्र ३/१७

वैयाकरणों का कथन है कि वाणी से घ्, अ, ट्, अ—वर्णात्मक तथाकथितप पद एक विशेष क्रम से उत्पन्न होकर श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत होता है। अर्थात् उक्त वर्णों के उत्पन्न होने पर तत् तत् वर्ण विषयक एक श्रावण-प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। तदनन्तर तत् तत् श्रावण प्रत्यक्ष से तत् तत् वर्ण विषयक एक-एक संस्कार बनता है। उस उस संस्कार के साथ अन्तिम वर्ण के प्रत्यक्ष से अखण्ड घटात्मक पद स्फोट की अभिव्यक्ति होती है। उस अभिव्यक्त पदस्फोट से घट पदार्थ की स्मृति होती है। इसी प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य स्फोट स्वीकार किया गया है।

वैयाकरणों ने स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से स्वीकार की है। १—स्फुटति=व्यक्ती भवति अर्थोऽस्मादिति स्फोटः— अर्थात् जिससे अर्थ स्फुटित हो वह स्फोट है। वर्णों से स्फोटात्मक पद की अभिव्यक्ति होनी है इसलिए वैयाकरणों ने स्फोट की दूसरी व्युत्पत्ति यह की है–२-स्फुट्यते=अभिव्यज्यते वर्णैरिति स्फोटः=अर्थात् जो वर्णों से स्फुटित होता है वह स्फोट कहलाता है। इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर स्फोट का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—"वर्णाभिव्यङ्ग्यत्वे सति अर्थ-प्रतीति-जनकत्वं स्फोटत्वम्" अर्थात् जो वर्णों से अभिव्यक्त होकर अर्थ प्रतीति का जनक हो उसे स्फोट कहते हैं।

वैयाकरणों के मत में शब्द ब्रह्मरूप है.1 अतः स्फोट ब्रह्मतत्त्व का दूसरा नाम है। लौकिक वर्णात्मक शब्द के लिए स्फोट शब्द का व्यवहार वे उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार लोक में चित्र को देख कर 'यह मनुष्य है' यह व्यवहार प्रचलित है।

वैयाकरणों के अनुसार शब्द चार प्रकार के हैं—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इन चारों शब्दों में परा वाक् आत्मस्वरूप है। परा वाक् अत्यन्त सूक्ष्म है अतः सर्वजनवेद्य नहीं। इसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। निर्विकल्पक समाधि में स्थित योगी ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। परा वाणी जब पश्यन्ती अवस्था को प्राप्त होती है तब भी वह साधारण पुरुषों के व्यवहार योग्य नहीं होती। वह भी योगियों के द्वारा ही वेद्य है। परा और पश्यन्ती में शब्द और अर्थ इतने मिले होते हैं कि उनमें थोडा सा भी पृथकता का बोध नहीं होता। जब वाणी मध्यमा अवस्था को प्राप्त होती है तभी शब्द और अर्थ में पार्थक्य का बोध होता है यद्यपि मध्यमा में शब्द और अर्थ में तादात्म्य रहता है फिर भी सर्वसाधारण को उनका पृथक् पृथक् बोध होने लगता है। किन्तु मध्यमा वाणी का स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उसको दूसरे लोग सुन नहीं सकते। इसलिये उसे सूक्ष्म कहा गया है। इस प्रकार परा, पश्यन्ती, मध्यमा ये तीनों वाणी क्रम से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर और सूक्ष्म कही गयी हैं। इसके पश्चात वैखरी वाणी ही वक्ता के मुख से उच्चरित होकर श्रोत्रेन्द्रिय का विषय

१—अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ वाक्य पदीय १/१

बनती है। किन्तु इतने पर भी अर्थ बोध नहीं होता। जब वैखरी वाणी से हृदय देश में स्थित वाणी में संक्षोभ उत्पन्न होता है तब मध्यमा में अवस्थित अर्थवाचक स्फोट की अभिव्यक्ति होती है तभी अर्थ बोध होता है। भर्तृहरि ने मध्यमा में ही अर्थबोधकता मानी है।

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः ।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते ॥

सांख्य, मीमांसा, वेदान्त और न्याय के दार्शनिक स्फोट को मान्यता नहीं देते। उनके मतानुसार वर्णों में ही वाचकत्व शक्ति है। अर्थ-ज्ञान के लिए स्वीकृत स्फोटवाद में गौरवबोध की उद्भावना कर ये लोग उसे अनावश्यक मानते हैं।

योगाभिमत स्फोटवाद का प्रतिपादन

योग के व्याख्याकारों ने शब्द को वाचक सिद्ध करने के लिए उसका तीन प्रकार से विभाजन किया है। आचार्य विज्ञानभिक्षु के अनुसार शब्द तीन प्रकार का होता है—वर्णभिन्न, वर्णात्मक और स्फोटात्मक। शंखादि अथवा वागिन्द्रिय के साथ जब उदान वायु का अभिघात होता है तब ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वीची-तरंग न्याय से वह ध्वनि दूसरी ध्वनि को उत्पन्न करता है। इस परम्परा से ध्वनि श्रोत्र देश से सम्बद्ध होता है। श्रोत्र देश से सम्बद्ध उक्त ध्वनि का परिणाम विशेष नाद कहलाता है। वीची तरंग न्याय से उक्त ध्वनि का परिणाम विशेष नाद प्रथम क्षण में अस्पष्ट होने के कारण वर्णभिन्न कहलाता है। इसी प्रकार वागिन्द्रिय के साथ उदानवायु के अभिघाताख्य संयोग के आधार पर उक्त वीची-तरंग न्याय से ध्वनि का परिणाम विशेष नाद द्वितीय क्षण में स्पष्ट होकर वर्ण कहलाता है। अर्थात् उक्त प्रकार से नाद ही वर्णभिन्न शब्द है और नाद ही वर्णात्मक शब्द है । तीसरे प्रकार का शब्द स्फोटात्मक होता है।

वर्णभिन्न और वर्णात्मक दोनों प्रकार के शब्द वाचक नहीं होते। क्योंकि वाचक होने के लिए वर्णों की सहस्थिति या एकत्रीभाव अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु आशु विनाशशील वर्णों का सहावस्थान किसी प्रकार सम्भव नहीं। यथा गौः शब्द के अन्तिम वर्ण विसर्जनीय के उत्पत्ति काल में गकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गकार के साथ विसर्गों की स्थिति नहीं हो सकती। अतः जिस प्रकार वर्ण भिन्न शब्द वाचक नहीं है उसी प्रकार सहभाव के अभाव में वर्णात्मक शब्द भी वाचक नहीं हो सकता।

(क्रमशः)

□

वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान

—आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार
उपकुलपति गु० कां० वि० वि०

वैदिक साहित्य में चार मूल संहिताओं एवं तत्सम्बन्धी साहित्य का ग्रहण किया जाता है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—१ संहिता भाग २—ब्राह्मण भाग ३—आरण्यक तथा उपनिषद् भाग ४—सूत्र भाग। मूल संहिताएं चार हैं जो ऋग्, यजु, साम, तथा अथर्व नाम से विख्यात हैं। इनमें से प्रत्येक की कई-कई शाखाएं भी है। ब्राह्मण भाग में वेद की कर्म-काण्ड परक व्याख्या है। नाना प्रकार के यज्ञ-भागों के विधि विधानों का यहां उल्लेख मिलता है। कुछ रहस्यात्मक कर्मकाण्ड की भी चर्चा उपलब्ध होती है। आरण्यक तथा उपनिषद् भाग कहीं-कहीं तो ब्राह्मण ग्रन्थों का अंश हैं और कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूप से निबद्ध हैं। जैसे बृहदारण्यकोपनिषद् शतपथ ब्राह्मण का अंश है जबकि ऐतरेयारण्यक और ऐतरेयोपनिषद्, ऐतरेय ब्राह्मण से स्वतन्त्र हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थ मुनियों के आध्यात्मिक चिन्तन एवं दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इनमें यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। अरण्य में या एकान्तवास में इनका स्वाध्याय, मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन आदि करने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा। उपनिषद् रोचक शैली से ब्रह्मविद्या का उपदेश करती हैं। चौथे सूत्र भाग का यद्यपि वेदांगों में कल्प शीर्षक के अन्तर्गत परिगणन किया गया है तो भी इसका स्वतन्त्र महत्त्व होने से यहां पृथक् ग्रहण किया गया है।

सूत्र ग्रन्थों में तीन प्रकार के सूत्रों का समावेश होता है, श्रौत-सूत्र, गृह्य-सूत्र तथा धर्म-सूत्र। श्रौत-सूत्रों में कुछ दिन मास या वर्ष अनवरत चलने वाले महासत्रों की विधि का उल्लेख हुआ है, जिनमें अनेक अग्नियों तथा अनेक ऋत्विक् आदि का विधान होता था। गृह्य-सूत्रों में साधारण गृहस्थ के दैनिक यज्ञों तथा षोडश संस्कारों से सम्बद्ध निर्देश सङ्कलित हैं। धर्मसूत्रों में प्रमुख वर्णाश्रम धर्म एवं राजधर्मों का वर्णन है।

इस समग्र वैदिक साहित्य में उपनिषदों का प्रमुख स्थान है। यद्यपि आध्यात्मिक चिन्तन उपनिषत् काल के पूर्व वैदिक काल में भी विद्यमान था तथापि जितना और जैसा स्पष्ट चिन्तन और विवेचन उपनिषदों में पाया जाता है उतना एवं वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उपनिषद् ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य भौतिक जगत् से परे उसके मूल सूत्र ब्रह्म और आत्मा तथा मूल प्रकृति का निरूपण करना है। वेद की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य एवं अभिप्राय उपनिषदों में उपलब्ध होने के कारण वैदिक साहित्य में इन का विशेष स्थान है। ब्राह्मण ग्रन्थों का कर्मकाण्ड भी वस्तुतः उपनिषदों के अध्यात्म ज्ञान की ही

तैयारी है। जीवन के चरमोद्देश्य के प्रति अग्रसर करने में और उस पथ में आती हुई नाना प्रकार की बाधाओं का समाधान करने में जैसी सफलता उपनिषदों को मिली है कदाचित् ही इन आध्यात्मिक ग्रन्थियों के उद्घाटन में अन्य किसी साहित्य को मिली हो। उपनिषदें अपने अध्येता के चित्त पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ये दिव्य आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं जो अपनी समुन्नत विचार-धारा, उदात्त-चिन्तन और अध्यात्मिक जगत् की रहस्यमयी अभिव्यक्तियों से देश-विदेश के सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।

डॉ० राधाकृष्णन् के अनुसार—"उपनिषदों ने उन प्रश्नों को लिया है। जो मनुष्य के मन में उस समय उठते हैं जब वह गम्भीरता से चिन्तन करने लगता है और वे उनके ऐसे उत्तर देती हैं जिन्हें हमारा मन आज भी स्वीकार करना चाहता है।... ......जो भिन्नता दिखाई देती है वह केवल उनके प्रति हमारी पहुँच की और उन पर दिये जाने वाले जोर की ओर है।

उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढता है, वह मानव आत्मा और परम सत्य के गुह्य और पवित्र सम्बन्धों को उजागर करने वाले उनके बहुत से उद्गारों के उत्कर्ष, काव्य और प्रबल सम्मोहन से मुग्ध हो जाता है और उसमें बहने लगता है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो इन चरम प्रश्नों से जूझने वाले व्यक्तियों के मन की क्षमता, तत्परता और परिपक्वता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इन समस्याओं को सुलझाने वाली आत्माओं का सभ्यता के सर्वोच्च आदर्शों से आज भी तात्त्विक तालमेल है और सदा रहेगा।

उपनिषदें अपनी स्थापनाओं को आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित करती हैं, इसलिये वे हमारे लिये अमूल्य हैं। उनके अध्ययन से धर्म उन मूल तत्त्वों को, जिनके बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं रहता, सत्य के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने में सहायता मिलती है।"1

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के अनुसार —"प्राचीन भारत के नभोमण्डल में जाज्वल्यमान तारकावली में उपनिषद् वे सितारे हैं जिनका प्रकाश जीवन-यात्रा की घटाटोप अन्धकारपूर्ण रात्रि में हजारों सालों से बटोही का मार्ग-प्रदर्शन करता रहा है।"2

उपनिषदों का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण जहां हमें परम सत्य का साक्षात्कार कराकर आनन्द विभोर कर निःश्रेयस् तक पहुँचाने का साधन है वहां वह हमें संसार में अभ्युदय से भी वञ्चित नहीं

१ दॉ प्रिंसिपल्स उपनिषदाज, अनु० रमानाथ शास्त्री, भूमिका पृ० ७।
२ एकादशोपनिषद् – भूमिका - पृष्ठ ९।

रखता।[1] जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस् की सिद्धि हो वही धर्म है और यही वेदों का लक्ष्य है। जहां वेद प्रतिपादित धर्म का लक्ष्य अभ्युदय एवं निःश्रेयस् है वहां निःश्रेयस् ही मुख्य है। वैसे ही उपनिषद् का मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस् होते हुए मानव को सांसारिक दृष्टि से ऊँचा उठाना भी है। तो फिर उपनिषदों का वैदिक साहित्य में विशेष स्थान स्वाभाविक ही है। उस उपनिषद् साहित्य की अपनी विशेषता यह है कि इतने गूढ़तम रहस्य को इतने सुगम एवं रुचिकर प्रकार से उदाहरणों द्वारा ऐसा बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है कि अध्येता को हृदयंगम करने में कठिनाई नहीं होती।

उपनिषदों के वैदिक साहित्य में स्थान के विषय में हम संक्षेप में यदि कहना चाहे तो कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य से इस अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को निकाल देने पर उसका मूल्य उतना ही रह जायेगा जितना धान में से चावल निकाल देने पर तुस का रह जाता है। अतः यह ज्ञान हमारे संस्कृति रूपी शरीर की रीढ़ की हड्डी है।

वाचस्पति गैरोला लिखते हैं—भारतीय विचारधारा में उपनिषदों के द्वारा एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ब्राह्मण ग्रन्थों से लेकर उपनिषद् ग्रन्थों तक सम्पूर्ण वाङ्मय मन्त्र संहिताओं का ही व्याख्यान रूप है फिर भी उनकी व्याख्या पद्धति कुछ भिन्न है। उदाहरण के लिये एक ही स्रोत से उत्पन्न ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों की विचारधारा में पर्याप्त असमानता है। कुछ दृष्टियों से यदि उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रन्थों का आलोचना-ग्रन्थ कहा जाय तो अनुचित न होगा। उपनिषदों में वैदिक कवियों के तत्त्वान्वेषी विचारों का दर्शन होता है। वेदों में कर्म और ज्ञान दोनों धाराओं का समन्वय है। वेदों की कर्म-भावना को लेकर ब्राह्मणों की रचना हुई और ज्ञान-भाव को लेकर उपनिषदों की। उपनिषदों से चिन्तन एवं अन्वेषण के नये युग का सूत्रपात हुआ है। धर्म की व्यापक एवं उदात्त भावना संहिताओं में देखने को मिलती है। कर्मकाण्ड प्रधान ब्राह्मण ग्रन्थों ने धर्म के स्थूल रूप का प्रतिपादन किया। इसके विपरीत ज्ञान-काण्ड प्रधान उपनिषदों में धर्म के सूक्ष्म रूप का निरूपण किया गया।

यद्यपि संहिताएं ही उपनिषदों का स्रोत रही हैं, फिर भी जीवन की शाश्वत मान्यताओं के प्रति दोनों में भिन्न-२ रूप से विचार किया गया है। इस प्रकार उपनिषदों का वैदिक मान्यताओं को अपने अध्येता के हृदयों में बिठा सकने में अधिक सफल रहने के कारण वैदिक साहित्य में विशिष्ट स्थान एवं महत्त्व है।

□

१ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः। वैशेषिक १—१—३।
२ वैदिक साहित्य और संस्कृति – पृ० ११४।

प्राचीन भारत में वर्ण-व्यवस्था का फौजदारी कानून पर प्रभाव

–डॉ० राजपालसिंह

सृष्टि के आरम्भ में मानव एकाकी था, शनैः शनैः उसने समूह और समूह से समाज का पाथेय निर्मित किया आदि सृष्टि के विस्तृत क्षितिज पर वह बर्बरता एवं असभ्यता का जीवन व्यतीत करता था । मानव की खोज-प्रवृत्ति में उसे सामाजिक तथा आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। सामाजिक प्राणी होने के परिणाम स्वरूप झगड़े और उपद्रव होने अवश्यम्भावी थे। ऐसी परिस्थितियों ने ही कानून को जन्म दिया। मनुष्य की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अटूट सम्बन्ध फौजदारी कानून के साथ रहा है।

अधिकांशतः अपराधों की पृष्ठभूमि में सामाजिक तथा आर्थिक कारण रहें है, क्योंकि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकतायें मूलतः इन्हीं दो कारणों से सम्बद्ध रही हैं। इस सन्दर्भ में राजनैतिक कारणों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती किन्तु; व्यापक अर्थों में उनका समावेश सामाजिक कारणों में किया जा सकता है। मार्क्सवादी विचारक तो इतिहास की समस्त घटनाओं की व्याख्या आर्थिक दृष्टि से ही करते हैं। इस कथन में सत्यता का अंश तो स्वीकार किया जा सकता है; किन्तु यह पूर्णतः सत्य नहीं है।

यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन करें तो हमें विदित होता है कि समाज में वर्ण-व्यवस्था का विशेष महत्त्व रहा है। सामाजिक संगठन की पीठिका पर वर्णव्यवस्था दीर्घकाल से सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती आ रही है। आधुनिक युग में भी वर्ण-व्यवस्था अपने परिवर्तित रूप में क्रियाशील है। प्राचीन काल में वर्ण-व्यवस्था का फौजदारी कानून पर प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख इकाई होने के कारण समाज और फौजदारी कानून पर ही नहीं वरन् न्याय के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है।

प्राचीन युग में वर्ण-व्यवस्था एक संगठित रूप ले चुकी थी मुख्यतः इसमें चार वर्ण–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण जिनका समाज में उच्च स्थान था, का वर्णन ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर किया गया है! यही नहीं, ब्राह्मणों का सर्वाधिक महत्त्व दर्शाने के लिये एक स्थान पर कहा गया है कि देश का जो राजा ब्राह्मणों का आदर करेगा वही सुख-शान्ति को प्राप्त होगा। तैत्तिरीय-संहिता में ब्राह्मण को देवता से भी ऊंचा महत्ता दी गई है और उसे समाज में सर्वोच्च स्थान

दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का मूल आधार जन्मगत था। जन्म के अनुसार ही वर्ग-विभाजन होता था केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ही मनुष्य ब्राह्मण कहलाता था। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में लिखा है कि दस वर्षीय ब्राह्मण सौ वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है।

सामाजिक उच्चता की दृष्टि से प्रथम सोपान पर द्विज प्रतिष्ठित थे। द्वितीय सोपान क्षत्रिय का था। मनु का कथन है कि जन्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है, परन्तु गौतम ने अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की श्रेष्ठता का निराकरण करते हुए दोनों को ही सामाजिक उत्थान के लिए समान रूप से महत्त्व दिया है। एक स्थान पर उनका कथन है कि राजा और विद्वान् ब्राह्मण दोनों ही लोक-धर्म की रक्षा करते हैं।

इस सामाजिक संगठन में तृतीय स्थान वैश्यों का आता था। ऋग्वेद के 'पुरुष-सूक्त' के अनुसार आद्य पुरुष के मुख, बाहु, जांघों तथा पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई।

वर्ण व्यवस्था की अन्तिम कड़ी शूद्रों की थी। शूद्रों की अवस्था समाज में अन्य की तुलना में सर्वाधिक निम्न, हीन और दयनीय थी। उन्हें अपनी जीविका उपार्जन हेतु अन्य वर्णों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनका प्रमुख धर्म उनकी सेवा करना था। समाज में उनकी निम्नावस्था का पता इसी बात से चलता है कि बौधायन ने शूद्र की हत्या करने वाले के लिए इसी दण्ड को निर्धारित किया है जो किसी कौवे, उल्लू तथा कुत्ते के हत्यारे को मिलता था सारांशगत शूद्र पद दलित थे।

इस व्यवस्था में चारों वर्णों के कार्य भी जन्मगत निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मण समाज की सर्वोच्च इकाई थे, पूज्य थे, अतः उन्हें पठन-पाठन का अधिकार था। क्षत्रियों का कार्य अन्य वर्णों की रक्षा करना था अर्थात् उनका कार्य युद्ध का था। वैश्य व्यापारिक कार्यों के निर्धारक थे। अन्तिम वर्ण शूद्र पर इन तीनों वर्णों की सेवा का उत्तरदायित्व था।

प्रागैतिहासिक काल में फौजदारी कानून की क्या स्थिति थी, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में अपराध तो अवश्य ही होते होंगे, और दण्ड की व्यवस्था होगी। प्रत्येक समाज में अपराधों के अनुसार दण्ड की व्यवस्था की जाती है। मनुष्य तो संवेदनशील एवं प्रबुद्ध प्राणी है, पशु-वर्ग में भी दण्ड की व्यवस्था देखी जाती है। विद्वान् सर हेनरी मैन ने अपराध-संहिता के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया है। कि प्राचीन समाज में इसका अस्तित्व नहीं था। उस समय अपराध के स्थान पर पाप एवं च्युति हो सकते थे, क्योंकि उनमें प्रतिफल की व्यवस्था थी। विद्वान् मैन के अनुसार राज्य एवं समग्र समुदाय के विपरीत किये गये अपराध का उदय उत्तरवर्ती है। उस समय विधि के उल्लंघन में क्षति की व्यवस्था थी, अपराध संहिता

की नहीं। विद्वान् हेनरी मेन का यह निष्कर्ष है कि १२७ ई० पू० वर्ष पहले से अपराध विधि का उदय नहीं हो पाया था। मैन के उपरोक्त विचार तर्कसंगत नहीं हैं अनेक विद्वानों ने उनकी कटु आलोचना की है व्यक्तिगत रूप से हमें भी मैन के विचार को ग्रहण करने में कठिनाई प्रतीत होती है। यह हो सकता है कि उनके विचार यूरोप में कुछ सीमा तक लागू होते हों; किन्तु आज के लिये सर्वथा अग्राह्य है। ईसा से ३०० वर्ष पूर्व तो आचार्य कौटिल्य हैं, जिन्होंने अपने 'अर्थशास्त्र' में अपराध और उसके लिये निर्धारित दण्ड का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है।

वास्तव में भारतीय विचार को समझने में विद्वानों ने बड़ी भूल की है। वे यूनान को विश्व सभ्यता का जनक मानकर भारत की ओर देखते रहे हैं और उनका यह पूर्वाग्रह था कि कोई भी भारतीय विचार यूनानी विचार से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। उनके ग्रन्थ का यही मूल है। मैगस्थनीज यह मानता है कि उसके समय में भारत में लिखित विधि भी ही नहीं किन्तु लिखने की कला से अनभिज्ञ लोग स्मरण से ही काम चलाते थे। इस प्रकार स्वयं ही वह अपनी आपत्ति समाप्त कर लेता है।

मानव-जीवन का लक्ष्य सुख और शान्ति रहा है; किन्तु उसी के साथ-साथ कुछ मनुष्यों में अपराध करने की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गयी थी। ऐसी स्थिति में समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये दण्ड देना आवश्यक समझा गया। इसीलिये भारत में फौजदारी कानून का विकास हुआ।

प्राचीन भारतीय दण्ड व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। प्रत्येक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न को ही लेते हैं। न्यायाधीश का ब्राह्मण होना आवश्यक था, किन्तु ब्राह्मण की अनुपस्थिति में क्षत्रिय तथा अन्य वर्ण की नियुक्ति हो सकती थी। जबकि शूद्र की नियुक्ति किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती थी। मनु का तो यह कथन है कि मूर्ख ब्राह्मण न्यायाधीश के पद पर तो नियुक्त किया जा सकता है, पर विद्वान् शूद्र नहीं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णों के लिये दण्ड-विधान में भी अन्तर था। यदि एक उच्च वर्ण के व्यक्ति किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति को घायल करता था तो इस अपराध में उसे कम दण्ड दिया जाता था; परन्तु यदि निम्न वर्ण का व्यक्ति किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति को घायल करता था तो उस अपराध में उसे अधिक दण्ड दिया जाता था। यह स्थिति न्याय के प्रत्येक क्षेत्र में थी। यहां तक कि विभिन्न वर्णों के लिये दिव्य साक्ष्य भी अलग-अलग प्रकार के थे। फौजदारी कानून के अन्तर्गत ब्राह्मणों को विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। ब्राह्मणों को इस कानून के अन्तर्गत कम दण्ड दिया जाता था, शूद्रों की स्थिति करुणाजनक थी। शूद्र और कुत्ते को मारने पर एक समान दण्ड था।

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान या अपशब्द कहने पर क्रमशः १०० पण, २५० पण का दण्ड दिया जाता था; परन्तु यदि ब्राह्मण तीनों वर्णों के साथ यह अपराध करता

या तो क्रमशः ५०, २५, १२ पण दण्ड दिया जाता था। गौतम के अनुसार शूद्र का अपमान करने पर या अपशब्द कहने पर ब्राह्मण को दण्ड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार एक क्षत्रिय की हत्या पर एक हजार गाय और एक बैल दण्ड स्वरूप अपराधी को देना पड़ता था, वैश्य की हत्या करने पर सौ गाय और एक बैल और शूद्र की हत्या करने पर १० गाय और एक बैल का दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार एक ही अपराध में भिन्न-भिन्न वर्णों के लिये दण्ड थे।

ब्राह्मणों को दण्ड—

ब्राह्मणों की स्थिति जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अति सुविधाजनक थी कानून ब्राह्मणों के पक्ष में था। फौजदारी कानून के अन्तर्गत ब्राह्मणों को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था। उन्हें मृत्युदण्ड के स्थान पर देश निष्कासन का दण्ड दिया जाता था। बृहस्पति के अनुसार किसी भी अपराध में ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड या शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। यदि हिंसा अथवा गम्भीर अपराध करे तो उसे देश निष्कासन या उसके सिर को मुंडवा देना चाहिये या उसके मस्तक पर उसके द्वारा किये गये अपराध का चिन्ह अंकित कर गधे पर बैठाकर नगर में घुमाना चाहिये। किन्तु इन सबका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणों को केवल देश निष्कासन या अपराध का चिन्ह अंकित कर मुक्त कर दिया जाता था। गौतम के अनुसार प्रथम बार अपराध करने पर ब्राह्मण को विशेष सुविधायें प्राप्त थीं।

अपराध की पुनरावृत्ति करने पर ब्राह्मण को सामान्य नागरिक की तरह दण्डित किया जाता था।

ब्राह्मणों को भी मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है। गर्भपात, ब्राह्मण पर शस्त्र उठाना एवं राज विद्रोह के अपराध में ब्राह्मण को भी मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। परन्तु ब्राह्मणों को मृत्यु-दण्ड कदाचित् किसी अपराध में ही दिया जाता था। सामान्य रूप से उन्हें देश निष्कासन का दण्ड ही दिया जाता था। देश निष्कासन का दण्ड ब्राह्मणों के लिये मृत्यु-दण्ड से भी अधिक कष्टदायी था, क्योंकि केश मुण्डित मस्तक पर चिन्ह अंकित करने व देश से निष्कासित करने से ब्राह्मण की सामाजिक मृत्यु ही हो जाती थी। वह धर्म से बहिष्कृत हो जाता था। इस प्रकार मृत्यु दण्ड की अपेक्षा यह स्थिति ब्राह्मण के लिये अधिक लज्जाजनक थी। ब्रह्म-हत्या महान् अपराध था। इसके लिये मृत्यु-दण्ड निश्चित था। परन्तु अत्याचारी ब्राह्मण के वध में कोई दोष नहीं माना जाता था, भले ही वह गुरु ही क्यों न हों।

इस प्रकार स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कानून के अन्तर्गत ब्राह्मणों को विशेष सुविधायें प्राप्त थीं अतः वर्ण व्यवस्था का फौजदारी कानून पर प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। परन्तु उक्त सब बातों से यह भी स्पष्ट होता है कि विधि से परे कोई नहीं था।

□

उपन्यासकार प्रेमचन्द्र–एक समीक्षा

–ज्ञानचन्द शास्त्री
हिन्दी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय

हिन्दी जगत् के उपन्यास सम्राट एवं मूर्धन्य कहानीकार प्रेमचन्द एक उच्चकोटि के साहित्यकार थे। इनकी तुलना यूरोपीय उपन्यासकार टालस्टाल गोर्की जैसे विश्वविख्यात उपन्यासकारों में की जाती है। प्रेमचन्द की विशेषता रही है, युग चेतना के साथ प्रगतिवादिता, पीड़ित मानवता के पक्के पक्षपाती रहे हैं।

प्रेमचन्द के प्रायः समस्त उपन्यास सामाजिक, राजनैतिक समस्याओं को लेकर लिखे गये हैं। जहां प्रेमचन्द के उपन्यासों में तत्कालीन मध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं कृषक वर्ग की समस्याओं का वास्तविक चित्रण हुआ है। प्रेमचन्द ने अपने जीवन का अधिकांश भाग ग्राम में व्यतीत कर ग्रामीण लोगों की आर्थिक दुरव्यवस्था एवं मनोदशा को समस्या के रूप में व्यक्त किया है। वस्तुतः व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव भी उनकी समस्याओं को यथार्थ रूप प्रदान करने में सहायक हुआ है। इस सम्बन्ध में एक स्थान पर डॉ० गुलाब राय ने लिखा है "हिन्दी साहित्य के इतिहास में जन-साहित्य के युग प्रवर्तक प्रेमचन्द हैं।

प्रेमचन्द के उपन्यासों में सबसे बड़ी विशेषता है उनकी आदर्शवादिता। चरित्र की दृष्टि से वे निर्देशन करने में तथा घटना का निर्माण तथा उपसंहार करने में वे आदर्श का सदा ध्यान रखते हैं। दूसरी विशेषता है लक्ष्य की उन्मकनना। उन्होंने प्रत्येक उपन्यास में सामाजिक और राजनैतिक प्रश्न उठाने हैं। उनका निर्णय भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, निर्णय विवेचन करने के कारण प्रेमचन्द लक्ष्यवादी है और चरित्र तथा कथा के स्वरूप निर्माण में वे आदर्शवादी है।

प्रेमचन्द की रचना शिल्प के बारे में डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है "कबीर के बाद प्रेमचन्द ही एक ऐसे लेखक हैं। जिन्होंने जो कुछ देखा उसी को कहा और जो कहा उसे स्वयं आचरण में रखकर दिखाया।"

प्रेमचन्द युग में देश की सामाजिक जागृति एवं राजनैतिक चेतना के कारण स्थिति ऐसी बन गई थी कि उस समय हमें अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने वाले, आन्तरिक शक्तियों का आभास देने वाले साहित्य की आवश्यकता थी। ठीक इन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए अवतरित हुए।

प्रेमचन्द ने उपन्यास को नवीन दिशा की ओर अग्रसर किया और उसे यथार्थवादिता के कठोर धरातल पर ला खड़ा किया। जिससे उपन्यास मानव जीवन की वास्तविक झांकी को बिम्बित करने में समर्थ हो सका। प्रेमचन्द ने यथार्थ का सम्बन्ध आदर्श से स्थापित करना अभीष्ट समझा उनका समस्त साहित्य इसी भावना से अनुप्राणित है। गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन आदि समस्त उपन्यासों में पहले उन्होंने जीवन का लक्ष्य, समाज की विषमताओं और समस्याओं का मार्मिक अंकन किया है। उन्होंने सद्वृत्तियों वाले पात्रों के माध्यम से एक आदर्श की स्थापना की है जिसका अनुशीलन कर व्यक्ति अपना जीवन उन्नत बना सकता है। समाज की भीषण-समस्याओं को उन्होंने आदर्शवादी ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है। जैसे 'सेवा सदन' में सुमन के चरित्र का सुधार कर प्रेमचन्द एक आश्रम की प्रतिष्ठा करते और उसके जीवन का एक उज्ज्वल अध्ययन आरम्भ करते हैं।

वास्तव में प्रेमचन्द का साहित्य बीसवीं सदी के भारत का सच्चा इतिहास और उसकी सच्ची झलक है। उनके साहित्य में सच्चे भारत के दर्शन होते हैं। वैसे प्रेमचन्द युग में भारत वर्ष में पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष में हम पश्चिमी सभ्यता की ओर लालायित होकर बढ़ते गये। परन्तु उनकी अनुपयुक्तता और खोखलापन देखकर संकुचित हो जाते हैं। 'गोदान' में मेहता कहते हैं—"मुझे खेद है हमारी बहिनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गयी है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छन्द होना चाहती है, इसलिये कि वह अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा।

प्रेमचन्द के उपन्यासों का मूल प्रेरणा-स्रोत एवं आधारभूमि समाज ही है। इनके कथानकों में मानव के सामाजिक जीवन का प्रमुखतः चित्रण मिलता है। वैयक्तिक जीवन का भी अंशतः उल्लेख हो गया है। व्यक्ति ही सामूहिक रूप से समाज का रूप धारण कर लेता है और उसकी समस्याएं ही सामाजिक समस्याएं बन जाती हैं। अपने समय की समस्याओं का चित्रण प्रेमचन्द ने किया है। विधवा की समस्या उस समाज की प्रमुख समस्या थी, जिसका वर्णन उस युग के प्रायः सभी उपन्यासकारों ने किया था और उसके समाधान की चेष्टा भी की थी। प्रेमचन्द के हृदय में विधवाओं के प्रति सहानुभूति थी, उन्होंने प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेमाश्रम, गबन, निर्मला उपन्यासों में विधवाओं के जीवन पर सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है। 'वरदान' की ब्रजरानी 'प्रेमाश्रम' की गायत्री, प्रतिज्ञा की पूर्णा, 'गबन' की रतन को वैधव्य जीवन का दुःख भोगना पड़ा। अतः विधवा समस्या का स्थायी समाधान विधवा-विवाह ही है। स्वयं प्रेमचन्द ने विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके विधवा समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत किया है। 'प्रतिज्ञा' उपन्यास में अमृतराय विधवाओं के लिये वनिता आश्रम की स्थापना करता है। यह समाधान आदर्शवादी है और परिस्थितियों के अनुरूप है क्योंकि उस युग में

विधवा का विवाह समाज में क्रान्ति उपस्थित करने वाला था और प्रेमचन्द क्रान्तिकारी न होकर आदर्शवादी हैं। आश्रम की स्थापना द्वारा उन्होंने आदर्श की रक्षा की है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में युग के शोषित, दलित एवं पीड़ित व्यक्तियों के साथ भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर उनके जीवन की समस्याओं को रखा है और पीड़ा के परिहार के लिये यथासम्भव सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। नारी किसान, मजदूर तथा समाज के अन्य अभावग्रस्त व्यक्तियों को उन्होंने अपने उपन्यासों का आधार स्तम्भ बनाया है। रंगभूमि उपन्यास में सूरदास नामक अन्धा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है तथा गांधीवादिता में पगा हुआ है। वह अन्धा निर्बल होने पर भी निष्ठावान् है। वह परतन्त्र किन्तु स्वाधीनता कामी भारतीय जीवन का प्रतिनिधि है। भारतीय निर्बलता और साधनहीनता के साथ ही गांधी जी द्वारा प्रतिष्ठित आशावादिता और अजेयता भी 'सूरदास' के जीवन में संनिहित है। इस तरह उसके जीवन में विरोधी भावों और गुणों का मिश्रण है। सूरदास प्रेमचन्द की एक श्रेष्ठ चरित्र सृष्टि है।

रंगभूमि गांधीवादी उपन्यास इसलिये कहा जाता है कि यह गांधी जी की राजनैतिक चेतना से अनुप्राणित है। रंगभूमि प्रेमचन्द की उपन्यास कला का विकसित सोपान है। गांधीवाद का प्रभाव साहित्य व जीवन पर जैसा भी कुछ पड़ा वह रंगभूमि में दिखाई पड़ता है। चरित्रों की विविधता, बहुलता और भारतीय जीवन की व्यापकता का चित्रण रंगभूमि की अपनी विशेषता है। प्रेमचन्द ने पूंजीवादी समाज व्यवस्था का भी विरोध किया है, पूंजीवादी प्रथा का खण्डन करते हुए समाजवाद की स्थापना का समर्थन किया है। प्रेमचन्द का मूल-उद्देश्य समाज का कल्याण और मानवता की रक्षा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने अपने कथानकों का निर्माण किया है। समष्टि के मंगल का उत्सर्ग करके व्यक्ति की अनुभूतियों का तरंगाभिधान उनके लिये असत्य है। वे मानव की उन वृत्तियों को जागृत करना चाहते हैं जो सामाजिक भावना को आघात पहुँचाने वाली नहीं हैं। उन्होंने प्रायः अपने पात्रों में उन गुणों को प्रस्फुटित किया है जिनकी समाज को समष्टि रूप में मानव-हित के निमित्त आवश्यकता थी। प्रेमचन्द ने सदैव मानव-कल्याण तथा मानव-मंगल के पक्ष का मंडन किया है। जो वस्तुतः उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिफल है, उन्होंने अपने उपन्यासों में आदर्श व्यक्तियों के जीवन में मानव सुलभ दुर्बलताओं का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द ने उनकी सद्वृत्तियों को प्रस्फुटित कर मानव के प्रति अपनी अडिग आस्था का प्रमाण दिया है। प्रेमचन्द का विश्लेषण मानवतावादी और नैतिक है।

इनमें नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और स्थायी मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। गोदान की मालती के विलासमय जीवन का परिष्कार सामाजिक क्षेत्र में कार्य करके त्याग वृत्ति के द्वारा ही होता है। अपने स्वार्थों के संकुचित घेरे से बाहर निकलकर जब हम लोकोपकारी कार्यों में जुड़ जाते

हैं, तब हममें आत्मनिरीक्षण, निराभिमानता, आत्मोत्सर्ग, की भावना उत्पन्न होने लगती है। जिससे मन पवित्र होने और चित्तवृत्तियां सुसंस्कृत होने लगती हैं।

प्रेमचन्द के कृतित्व का समय सन् १९०१ से १९३६ तक है। प्रेमचन्द भारतीय जनता के जागरण काल के लेखक थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आन्दोलन, स्वतन्त्रता संग्राम तथा सामाजिक कुरीतियों और विभीषिकाओं से प्रभावित होकर लिखा था।

अत: अन्त में हम यह स्वीकार करेंगे कि गहरी एवं व्यापक अन्तर्दृष्टि जीवन्त एवं सहज कलाकारिता तथा अमोघ भाषा शक्ति आदि से सम्पन्न प्रेमचन्द का उपन्यास साहित्य केवल हिन्दी की ही नहीं अपितु समूचे भारत की सम्पत्ति है। साथ ही भारतीय जनता की सहृदयता, सहनशीलता, बेबसी, प्रेमचन्द के साहित्य में मुखरित हुई है।

□

पुस्तक-समीक्षा

पुस्तक का नाम	"वेदमञ्जरी"
लेखक	डॉ० रामनाथ वेदालंकार
प्रकाशक	समर्पण शोध-संस्थान
	आर्यसमाज, करोलबाग, नई दिल्ली-५
मूल्य	४० रुपये

इस वेदमञ्जरी में डॉ० रामनाथ जी ने चारों वेदों से ३६५ मन्त्रों का संग्रह किया है। वर्ष में ३६५ दिन होते हैं। एक-एक मन्त्र का एक-एक दिन में चिन्तन मनन करते हुए स्वाध्याय किया जाय तो एक वर्ष पर्यन्त यह क्रम चलता रह सकता है। वैसे, यह आवश्यक नहीं है कि ग्रन्थ में निर्दिष्ट क्रम से एक दिन में एक ही मंत्र पर विचार किया जाय। यह बात पाठक की रुचि पर अधिक निर्भर करती है कि वेदों की ३६५ मञ्जरियों में से किस मञ्जरी की सुगन्ध उसे अधिक आकृष्ट करती है। अपनी इच्छानुसार कहीं से भी वह किसी भी मंत्र को लेकर उसके सम्यक् परिशीलन से आनन्द प्राप्त कर सकता है।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही डॉ० रामनाथ जी ने मंत्रों की व्याख्या के सम्बन्ध में अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर दिया है। निघण्टु की व्याख्या करते हुए आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में पदों का निर्वचन करते समय जिस पद्धति का आश्रय लिया है, डॉ० रामनाथ जी ने भी इसको आधार बनाया है 'धातवः अनेकार्थाः' इसको वे गांठ बांधकर चले हैं। "वैदिक भाषा का एक-एक शब्द अपने अन्दर अर्थ वैपुल्य का अगाध भण्डार भरे हुए है। अर्थ-वैपुल्य में संसार भर की अन्य कोई भाषा इस भाषा की तुलना नहीं कर सकती है। वैदिक शब्दों में से एक के बाद दूसरा अर्थ निकलता चलता है और व्यक्ति अपने-अपने स्तर के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म, साधारण, गम्भीर, गम्भीरतर या गम्भीरतम अपेक्षित अर्थ को ग्रहण कर लेता है।" उनके इस कथन की महत्ता किसी भी मंत्र की व्याख्या पढ़कर समझी जा सकती है। उनकी यह व्याख्या उन्हीं के शब्दों में 'भावभीनी' है अतः सर्वत्र ही भाषा का प्रवाह अबाध गति से बहता चलता है। उस प्रवाह के लिये मूल मंत्र के प्रति शब्द का अन्वयं अनुसरण सर्वथा अपेक्षित नहीं समझा गया है। भाषा अति प्राञ्जल है और उस पर सर्वत्र ही भावना की मधुरिमा की 'कोट' चढ़ी हुई है। पाठक मूल को भूलकर व्याख्या के मधुर प्रवाह में बहता चला जाता है। व्याख्या में अभिधा की अपेक्षा व्यञ्जना का प्रयोग अधिक हुआ है।

यूं तो इस वेद मञ्जरी से पूर्व भी बहुत से मंत्र-संग्रह अर्थ सहित, अनेक स्थानों से निकलते रहे हैं। गुरुकुल कांगडी के पूर्व आचार्य पं० अभयदेव जी की भी वैदिक विनय को पर्याप्त ख्याति मिली थी। परन्तु यह "मञ्जरी" सबसे विशिष्ट है। इसमें यथासम्भव, सर्वथा नवीन ग्रन्थों का ही चयन किया गया है जो प्रायः अन्य प्रचलित संग्रहों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं और यदि कुछ मन्त्र आ भी गये तो उनकी व्याख्या में यहां विशेषता है। इसमें २७५ मंत्र ऋग्वेद के, ४६ मंत्र यजुर्वेद के, २० मंत्र सामवेद के तथा ८४ मंत्र अथर्ववेद के हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ उसके ऋषि, देवता और छन्द का भी उल्लेख कर दिया गया है। यदि मंत्र का पदपाठ और अन्वय भी साथ में दे दिया जाता तो मूल मंत्र का अर्थ समझने में अधिक सरलता हो सकती थी।

इस सर्वाङ्ग सुन्दर संग्रह के लिये वस्तुतः डॉ० रामनाथ जी साधुवाद के पात्र हैं।

—धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री

३/६ भगवाननगर, देहरादून

□

गुरुकुल—समाचार

प्रस्तुतकर्ता—डॉ० राकेश शास्त्री

३ मई, १९८४ को इतिहास विभाग में आई० गुस्तोपुत्तु फाल गुनेदी की पी-एच. डो. को मौखिकी परीक्षा सम्पन्न हुई। इन्होंने "दि एबोलेशन ऑफ इण्डियन कल्चर इन बाली" विषय पर डॉ० विनोद चन्द्र सिन्हा प्रो० एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग के निर्देशन मे शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था।

७ मई ८४ को इतिहास विभाग में राकेश कुमार शर्मा की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न हुई। इन्होंने डॉ० विनोद चन्द्र सिन्हा अध्यक्ष, इतिहास विभाग के निर्देशन में "प्राचीन भारत में सम्प्रभुता का विकास (वैदिक काल से गुप्तकाल तक)" विषय पर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था।

१५ मई ८४ को प्रो० ओ० पी० मिश्र (परीक्षाध्यक्ष) तथा डॉ० विनोद चन्द्र सिन्हा, डॉ० जयदेव वेदालङ्कार, डॉ० काश्मीर सिंह भिण्डर (सहायक-परीक्षाध्यक्ष) के कुशल निर्देशन में परीक्षाएं शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुई।

१७ मई ८४ से १६ जुलाई ८४ तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा की गई।

३० मई, ८४ को श्री शेरबहादुर चौकीदार का देहावसान के कारण सम्पूर्ण गुरुकुल परिवार शोक निमग्न हो गया तथा एक शोक-संदेश में उनके शोक सन्तप्त परिवार के लिये संवेदना व्यक्त की गई और उसकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई।

३१ मई, ८४ अपराह्न को कार्यवाहक कुलसचिव डॉ० जबरसिंह सेंगर के स्थान पर प्रो० वीरेन्द्र अरोड़ा, गणित विभाग की कुलसचिव पद पर विधिवत् नियुक्ति की गई। उन्होंने ३१ मई अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा डॉ० जबरसिंह सेंगर ने अपने पूर्व पद प्रवक्ता, इतिहास विभाग का ३१ मई से ही कार्यभार संभाल लिया।